कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
(नजारत अनुभाग)
विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–1963/7–न्याय–2/2008–04/जी/27, दिनांकित: 19.10.2000 तथा शासनादेश सं0–1/2015/सात–न्याय–2–2015–41जी/97 दिनांकित: 13.01.2015 के अनुक्रम में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र सं0–7052/मेन–ए/एडमिन.'डी' सेक्शन/इलाहाबाद, दिनांकित: 12.05.2015 तथा शासनादेश संख्या–846/7–न्याय–2–2024–105जी/2021, दिनांकित: 09.10.2024 के अनुक्रम में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र सं0–8682/मेन–ए/एडमिन.'डी' सेक्शन/इलाहाबाद, दिनांकित: 03.07.2026 के अनुपालन में, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर मुख्यालय पर कार्यरत न्यायालयों व उनसे सम्बन्धित कार्यालयों/शौचालयों, मुख्यालय के न्यायालय परिसर, बाह्य न्यायालय जलालाबाद, शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय पुवायाँ, शाहजहाँपुर में समुचित सफाई व्यवस्था हेतु 8(आठ) पूर्णतयाः अंशकालिक संविदा सफाई कर्मचारीगण की नियुक्ति मु0: 8840/–रू0 प्रतिमाह के निश्चित मानदेय पर की जानी है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0–8682/मेन–ए/एडमिन. 'डी' सेक्शन/इलाहाबाद, दिनांकित: 03.07.2026 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जजशिप, शाहजहाँपुर के पत्र सं0–415/पन्द्रह, दिनांकित: 16.03.2026 के आलोक में, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर में 8(आठ) पूर्णतयाः अंशकालिक संविदा सफाई कर्मचारीगण की नियुक्ति मु0: 8840/–रू0 प्रतिमाह के निश्चित मानदेय पर किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1– उपर्युक्त सरकारी आदेशों के अनुसार, संविदा आधार पर मु0: 8840/– रूपये प्रतिमाह के निश्चित मानदेय पर 8(आठ) अंशकालिक सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

2– शाहजहाँपुर के जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त सरकारी आदेशों के तहत निर्धारित नियमों, शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार उक्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें।

3– नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, जिला न्यायाधीश, शाहजहाँपुर न्यायपालिका में पहले से कार्यरत सफाई कर्मियों का अनिवार्य रूप से समायोजन/तर्कसंगतकरण करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के दोहराव या अतिरिक्त नियुक्ति से बचा जा सके, और इसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को देंगे।

4– यह नियुक्ति संविदात्मक प्रकृति की होगी और इससे नियमितीकरण का कोई अधिकार या किसी अन्य सेवा लाभ का दावा प्राप्त नहीं होगा।

5– नियुक्त सफाई कर्मियों (मौजूदा सफाई कर्मियों में किये गये बदलावों सहित) के विवरण सहित अनुपालन रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र दिनांकित: 03.07.2026 के अनुपालन में केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर से प्राप्त आख्या दिनांकित: 15.07.2026 के अनुसार वर्तमान में जजशिप, शाहजहाँपुर में 02 संविदा सफाई कर्मचारी मु0: 8840/– रूपये प्रतिमाह के निश्चित मानदेय पर पहले से कार्यरत हैं, जिनके द्वारा भविष्य में संविदा पर कार्य करने की सहमति/इच्छा व्यक्त की गयी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र दिनांकित: 03.07.2026 के बिन्दु सं0–3 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में इस जजशिप में पूर्व से कार्यरत उपरोक्त 02 संविदा सफाई कर्मचारियों को, वर्तमान में की जाने वाली 8(आठ) संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में समायोजित किये जाने के उपरान्त शेष 6(छः) पूर्णतयाः अंशकालिक संविदा सफाई कर्मचारीगण की नियुक्ति मु0: 8840/–रू0 प्रतिमाह के मानदेय पर निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन की जायेगी :–

1– संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य में होगी।

2– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए लागू अधिकतम आयु सीमा, इस सम्बन्ध में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार होगी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया है।

3– संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक को कक्षा–06 पास होना अनिवार्य है।

4– संविदा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संविदा के आधार पर पूर्णतयाः अंशकालिक तथा संविदात्मक प्रकृति की होगी और इससे नियमितीकरण का कोई अधिकार या किसी अन्य सेवा लाभ का दावा प्राप्त नहीं होगा और न ही संविदा कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई अवकाश देय होगा।

5– संविदा सफाई कर्मचारी की सेवायें किसी भी समय, बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त की जा सकतीं हैं।

6– संविदा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संविदा के आधार पर पूर्णतयाः अंशकालिक होगी। अतः इस संविदा नियुक्ति के आधार पर कोई दावा किसी न्यायालय में प्रयोज्य नहीं होगा।

7– संविदा सफाई कर्मचारी की सेवा उसके कार्य व आचरण के आकलन पर निर्भर रहेगी।

8– संविदा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदकगण अपना आवेदन–पत्र आयु

क्रमशः पेज–2 पर

प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांकः 30.07.2026 की सायं 04.00 बजे तक, बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद व पुवायाँ, शाहजहाँपुर की उपनजारत कार्यालय में तथा कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर में व्यक्तिगत रूप से/पंजीकृत डाक से जमा कर सकते हैं।

दिनांकः 30.07.2026 की सायं 04.00 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा।

दिनांकः 30.07.2026 की सायं 04.00 बजे तक प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना–पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर व उपनाजिर, बाह्य न्यायालय, तिलहर, जलालाबाद व पुवायाँ, शाहजहाँपुर द्वारा अपने अपने प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक समिति के समक्ष दि0: 30.07.2026 को सायं 05.00 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह विज्ञप्ति माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर को सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाये तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त विज्ञप्ति की एक–एक प्रति सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु मुख्यालय जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर व बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद, शाहजहाँपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

विज्ञप्ति की एक–एक प्रति कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड करायी जाये।

विज्ञप्ति की एक–एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर एवं निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ को समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाये।

Neha Anand 15/07/26

(नेहा आनन्द)
सदस्य, प्रशासनिक समिति/
अपर जिला जज,
कक्ष सं0–3, शाहजहाँपुर।
15.07.2026

Ashish Varma 15/07/26

(आशीष वर्मा)
सदस्य, प्रशासनिक समिति/
अपर जिला जज,
कक्ष सं0–02, शाहजहाँपुर।
15.07.2026

15/07/2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति/
अपर जिला जज,
कक्ष सं0–01, शाहजहाँपुर।
15.07.2026

उपरोक्त विज्ञप्ति माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर को सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित।

दिनांकः 15.07.2026

15/07/2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट नं0–01, शाहजहाँपुर।
15.07.2026

Seen Approved by 15/07/2026

DISTRICT JUDGE
SHAHJAHANPUR